बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 04.10.2025

संख्या–7 / स्था0–04–35 / 2025सा0प्र0 18783 / भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली **"बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5(ग)(i) एवं नियम–5(ग)(ii) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–5(ग)(i) एवं नियम–5(ग)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"5(ग)(i) परिशिष्ट– 'क' में यथानिर्दिष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अध्यधीन 50 प्रतिशत पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) की प्रोन्नति से मेधा–सह–वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे।

5(ग)(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में तीन वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले पदाधिकारियों के बीच से तथा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) एवं असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में कुल सात वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले पदाधिकारियों के बीच से मेधा के आधार पर 25 प्रतिशत पद भरे जायेंगे। परिशिष्ट–'ख' में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परीक्षा के अनुसार चयन किया जायेगा।"

3. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5(ग)(iv) के बाद नया नियम–5(ग)(v) एवं नियम–5(ग)(vi) जोड़ा जाना।**–उक्त नियमावली में नियम–5(ग)(v) एवं नियम–5(ग)(vi) को निम्नवत् जोड़ा जायेगा:–

"5(ग)(v)– यदि जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) का एल0डी0सी0ई0 हेतु आरक्षित कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे उस विशेष वर्ष में 'योग्यता–सह–वरीयता' के आधार पर नियमित प्रोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।

5(ग)(vi)– तीन अलग–अलग कोटा के बीच जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) की रिक्तियों की गणना संवर्ग क्षमता के आधार पर की जायेगी।"

4. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–16 (ङ) का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–16 (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"16(ङ) इस संवर्ग में सदस्यों की वरीयता (उनकी नियुक्ति के स्त्रोत के आधार पर यथा 50% प्रोन्नति द्वारा, 25% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एवं 25% बार से सीधी भर्ती द्वारा) पदों के आधार पर और इस तथ्य पर विचार किये बिना कि वह व्यक्ति कब नियुक्त हुआ है, तैयार रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियत की जायेगी। इस संवर्ग में उपलब्ध पदों को शामिल करते हुए रोस्टर बिन्दु तैयार किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– (i) संवर्ग के लिए 20 (बीस) बिन्दुओं का रोस्टर निम्न प्रकार होगाः–

(a) प्रोन्नति द्वारा, 50% (प्रतिशत) पदों के लिए–1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 एवं 18

(b) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, 25% (प्रतिशत) पदों के लिए–3, 7, 11, 15 एवं 19

(c) उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं की सीधी नियुक्ति से 25% (प्रतिशत) पदों के लिए–4, 8, 12, 16 एवं 20

किसी भी रोस्टर बिन्दु की रिक्ति, पद की उस कोटि से भरी जायेगी जो रोस्टर से संबंधित हो।

स्पष्टीकरण–(ii) सवंर्गीय रोस्टर उच्च न्यायालय द्वारा चयन/नियुक्तिकी प्रक्रिया आरंभ किये जाने की तिथि से ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष के अनुसार वार्षिक आधार पर प्रोन्नति/नियुक्ति के तीन अलग स्त्रोतों के अनुसार संचालित होगा।"

5. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'क' के खंड–5 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'क' के खंड–5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"**खंड–(5)**–प्रोन्नति के लिए 10 (दस) अंकों का एक साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा, जिसमें उत्तीर्णता के लिए चार अंक अर्हक होगा।

विधि का अद्यतन ज्ञान, समझ, नैतिकता/योग्यता, संचार कौशल, सामान्य धारणाएं और जागरूकता आधारित साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।"

6. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ख' के खंड–2(b) के बाद नया खंड–2(c) जोड़ा जाना।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ख' में नया खंड–2(c) को निम्नवत् जोड़ा जायेगाः–

"खंड–2(c)–कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार विगत पाँच वर्षों में बीस त्रैमासिक अवधि के अन्तर्गत अथवा इसके अनुपात में पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में 6 या उससे अधिक Poor/Fair/Average की प्रविष्टि अंकित न हो, अन्यथा वे प्रोन्नति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। स्वांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जायेगा।"

7. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ख' के खंड–4 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ख' के खंड–4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"खंड–(4)–उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, न्यायादेश लेखन तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक–100 तथा उत्तीर्णांक 45/न्यायादेश लेखन का पूर्णांक–60 तथा उत्तीर्णांक–30 तथा साक्षात्कार के पूर्णांक–40 तथा उत्तीर्णांक–18 होंगे।

पाठ्यक्रम–(i)लिखित परीक्षा:–प्रोसेजुरल लॉ (सी0पी0सी0, बी0एन0एस0एस0, बी0एस0ए0) बी0एन0एस0, एम0भी0 एक्ट, प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट, सक्शेसन एक्ट, एस0सी0 एवं एस0टी0 एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, हिन्दू लॉ, मोहम्मडन लॉ, फैमिली कोर्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्ट्रेक्ट एक्ट, टी0पी0 एक्ट, सिविल कोर्ट रूल्स, क्रिमिनल कोर्ट रूल्स तथा सामान्य पत्र एवं परिपत्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ii) न्यायादेश लेखन (प्रत्येक सिविल मामले में दो और आपराधिक मामले में दो):–सिविल और आपराधिक न्यायादेश दोनों में से एक–एक को अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए।

(iii) मौखिक परीक्षा:–विधि का अद्यतन ज्ञान, समझ, नैतिकता/योग्यता, संचार कौशल, सामान्य धारणाएं और जागरूकता आधारित साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/10/25

(गुफ़रान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–35/2025सा0प्र0 18783 /पटना–15, दिनांक 04.10.2025

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

4/10/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–35 / 2025सा0प्र0....18783..... / पटना–15, दिनांक....04.10.2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0–91 दिनांक 03.10.2025 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/10/25

सरकार के अपर सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Amenment Higher Judicial 1951 Rules. 2025\Hindi.docx